5 रु. भारत पाँच रुपये COURT FEE INDIA FIVE RUPEES Rs.5

(3)

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. /15 निगरानी निग/3524/III-15

प्रार्थी अभिभाषक श्री एन.आर.यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 5-10-15
अधीक्षक 05-10-15
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

बसंतीलाल पिता फूलचंद धोबी, निवासी—ग्राम रणायरा तहसील ताल जिला रतलाम

—–आवेदक

विरूद्व

कालूराम पिता घिसाजी धोबी, निवासी—ग्राम रणायरा तहसील ताल जिला रतलाम —–अनावेदक

पुर्नरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 604/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 02.07.15 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :—

01. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

02. यह कि, अधिनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा अपना माईन्ड अप्लाय किये बगैर बिना किसी उचित एवं वैध आधार के आवेदक की अपील अवधि के प्रश्न पर निरस्त करने में त्रुटि की है।

03. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किये बगैर अर्थात अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय का अभिलेख बुलाये बगैर जो आदेश दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

04. यह कि, आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया था इसके उपरांत भी आवेदक की अपील अवधि के बिन्दु पर निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है।

05. यह कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किये है कि, किसी भी पक्ष को तकनिकी आधार पर न्याय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3524–तीन/2015 **जिला- रतलाम**

बसंतीलाल विरूद्ध **कालूराम**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/2/16	यह निगरानी अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 604/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 2-7-15 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । 2- प्रार्थी अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया की अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्रकरण क्रमांक 2/13-14/ अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-15 के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी जिसके साथ धारा- 5 अवधी विधान का आवेदन भी प्रस्तुत किया था । अपीलार्थी ग्राम में रहता है, अनपढ है, बीमार रहता है । उज्जैन में अपील प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषक से सम्पर्क करने तथा अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने में मात्र 12 दिवस का विलम्ब हुआ था परन्तु अपर आयुक्त न्यायालय ने धारा-5 के आवेदन को निरस्त करते हुए द्वितीय अपील निरस्त की कर दी । जबकि इस प्रकरण में भू-राजस्व संहिता की धारा- 115-116 के अन्तर्गत खसरे में प्रविष्टि संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दु विचारणीय था । मात्र तकनीकी आधार पर द्वितीय अपील निरस्त करने से आवेदक न्याय प्राप्ति से वंचित रह गया है । 3– आवेदक अभिभाषकके तर्क सुने । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 31-1-15 की सत्यापितप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को द्वितीय अपील प्रस्तुत करने में मात्र 12 दिवस का विलम्ब हुआ है । आवेदक द्वारा बताये गये कारणों जिसमें दूर ग्राम का निवासी, अनपढ होना तथा बीमार रहने का तर्क दिया । अत: अभिभाषक से अपील हेतु सम्पर्क करने तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सदभाविक तौर पर	

रिडर

मानते हुए मात्र 12 दिवस के विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है ।

अत: निगरानी आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण अपर आयुक्त को अभय पक्ष को सुनकर गुण दोषों पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य